कार्यालय, निदेशक आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विज्ञप्ति

संख्याः– 3598 दिनांकः– 05.11.18

शासनादेश संख्या– 4348/96–आयुष–1–2018–301/2014 आयुष अनु0–1 दिनांक– 17.09.2018 में निहित निर्देशों के कम में निदेशालय के पत्रांक– 3487 दिनांक–30.10.20178 द्वारा शैक्षिक सत्र 2018–2019 के अर्न्तगत राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष (आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी) कालेजो में एम0डी0/एम0एस0 के विभिन्न पाठ्यकमों में ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 2018 के परिणाम को अंगीकार करते हुए पंजीकरण एवं काउन्सिलिंग की प्रकिया का कार्यकम विज्ञापित किया गया था, को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है। संशोधित कार्यकम निम्नवत हैः–

क0सं0	विवरण	दिनांक/अवधि
01.	आनलाइन पंजीकरण	06.11.2018 से 11.11.2018 (06 दिवस)
02.	उ0प्र0 में पंजीकृत अभ्यार्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन	12.11.2018
03.	तृतीय चक की काउन्सिलिंग	13.11.2018 से 14.11.2018 तक (02 दिवस)
04.	मॉप–अप राउण्ड यदि आवश्यक हो तो प्रवेश की अन्तिम तिथि	15.11.2018

आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रवेश की अन्तिम तिथि परिवर्धित किये जाने के उपरान्त यदि आवश्यकता होगी जो अग्रिम चको एवं मॉपअप चक की काउन्सिलिंग की तिथि वेबसाइट **www.saclko.com** पर प्रसारित की जायेगी। अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त आयुष कालेजों एवं अग्रिम चको की काउन्सिलिंग के लिए निरन्तर वेबसाइट को देखते रहें।

विस्तृत अनुदेश/ निर्देश (विवरण पुस्तिका)वेबसाइट www.saclko.com पर उपलब्ध रहेगी।

(प्रो0 सुरेश चन्द)
निदेशक ,आयुर्वेद
(पाठ्यकम एवं मूल्यांकन)

प्रेषक, संख्या– 4809 /96–आयुष–1–2018–301/2014

अशोक कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन),
उ0प्र0, लखनऊ।

आयुष अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 05 नवम्बर, 2018

विषय– प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में पी0जी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3514/शिक्षा–, दिनांक 31.10.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या– आर0–11011/02/2018/ई0पी0 (आई0एम0–1) पार्ट–1, दिनांक 26.10.2018 में आल इण्डिया पोस्ट ग्रेजुएट इन्ट्रेंस टेस्ट (ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0) –2018 में पी0जी0 (एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यक्रम में काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश हेतु पूर्व निर्धारित प्रतिशत के स्थान पर परसेंटाइल निर्धारित किये जाने की सूचना से अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार द्वारा वर्णित नवीन व्यवस्था के कम में शासनादेश निर्गत किया जाय।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यकम एवं मूल्यांकन) के पत्र दि0 10.09.18 में किये गये अनुरोध के कम में निम्नवत् कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(क) शासन के पत्र संख्या–4490/96–आयुष–1–2018–301/2014, दिनांक 26.09.2018 द्वारा "अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों का परसेंटाइल" के स्थान पर "अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत" पढ़े जाने संबंधी आदेश निरस्त समझा जाय।

(ख) आल इण्डिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इन्ट्रेन्स टेस्ट–2018 में पी0जी0 (एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यकम में काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश हेतु अंतिम तिथि/कट आफ तिथि 15.11.2018 निर्धारित किया जाता है।

(ग) शासन के पत्र संख्या–4348/96–आयुष–1–2018–301/2014, दिनांक 17.09.2018 के प्रस्तर–6 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता को निम्न सीमा तक संशोधित पढ़ी जाय:–

(6) शैक्षिक अर्हता–

अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा (AIAPGET 2018) में निम्नलिखित अर्हता होनी आवश्यक है–

क्र0सं0	श्रेणी	अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको का परसेन्टाइल
1.	सामान्य श्रेणी	50
2.	अनुसूचित जाति	40
3.	अनुसूचित जनजाति	40
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	45
5	केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी	40

4– शासनादेश संख्या–4348/96–आयुष–1–2018–301/2014, दिनांक 17.09.2018 में उपरोक्त प्रस्तर–2(ग) के अतिरिक्त शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

V-ayu-draft

संख्या एंव दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सी0सी0आई0एम0), नई दिल्ली।
2- केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (सी0सी0एच0), नई दिल्ली।
3- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, यूनानी सेवायें,, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ।
6- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ0प्र0 (निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यकम एवं मूल्यांकन))।
7- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ0प्र0 (निदेशक, यूनानी सेवायें)।
8- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय होम्योपैथ महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ0प्र0 (निदेशक, होम्योपैथ)।
9- समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक कालेज/विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान उ0प्र0 (निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यकम एवं मूल्याकन))।
10- समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के यूनानी कालेज/विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)
11- समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक कालेज/विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, होम्योपैथी)
12- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
13- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुष विभाग, उ0प्र0।
14- श्री अशोक कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
15- काउंसिलिंग कमेटी के समस्त नामित सदस्य (निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यकम एवं मूल्यांकन))।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।